न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–60 / 2022

जी.सी.एम.एस नं.–2022 / 126

1. चन्द्र मोहीनी पत्नी प्रभूदयाल
2. रजनी पुत्री प्रभूदयाल
3. पिंकी पुत्री प्रभूदयाल

अकवाम अरोडा वार्ड नं.–18, सरकारी स्कूल नं.–4 के पीछे, गढ़ के पास, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––वादीगण

बनाम्

1. इन्द्रप्रकाश पुत्र स्व. घनश्यामदास जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं.–18, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागनर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. मन्जू पत्नी डॉ. निरज सक्सेना जाति कायस्थ पुत्री प्रभूदयाल निवासी पूजा एनक्लेव फेज सैकिण्ड, प्लाट नं.–24 करणी पैलस होटल के पीछे, आशियाना होस्टल के पास, करणीनगर, बीकानेर जिला बीकानेर (राज.)
4. अन्जू पत्नी बृज छाबड़ा पुत्री प्रभदयाल जाति अरोडा निवासी 7 एच 1 जवाहरनगर श्रीगंगानगर (राज.)
5. सन्जू पुत्री प्रभूदयाल जाति अरोडा निवासी वार्ड नं.–18 सरकारी स्कूल नं.–4 के पीछे, गढ़ के पास अनूपगढ़ तहसील जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. पुनित चुघ पुत्र प्रभुदयाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं.–18 सरकारी स्कूल नं.–4 के पीछे, गढ़ के पास, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––––प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

उपस्थित–

1. श्री राजेन्द्रसिंह अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री अनिल कुमार गक्खड़ अधिवक्ता प्रतिवादी सं.–1 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::– **दिनांकः– 08/06/22**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित कृषि भूमि वाके चक 80 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–31 पत्थर नं.–303 / 435 व मुरब्बा नं.–34 पत्थर नं.–297 / 436 में कुल 2.024 हैक्टर यानि कुल 8 बीघा भूमि नाली दोयम खातेदारी में से दस्तावजे दस्तबदारी के प्रकाश में प्रतिवादी सं.–1 के नाम से दर्ज इन्तकाल सं.–435 दिनांक 05.03.2016 को निरस्त किया जाकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी सं.–3 ता 6 को विवादित कृषि भूमि में 1 / 2 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

वाद पत्र में प्रतिवादी सं.–1 ने **प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी** पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में वादीगण ने रजिस्टर्ड दस्तबदारी दिनांक 23.12.2015 को मानते हुए अपने अधिकारो की घोषणा के लिए उक्त वाद पत्र श्रीमान न्यायालय में पेश किया है तथा दस्तबदारी के आधार पर दर्ज हुए नामान्तरण सं.–453 दिनांक 05.03.2016 को

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

भी निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी सं.–1 के पक्ष में दर्ज हुई विवादित भूमि दस्तावजे दस्तबदारी दिनांक 23.12.2015 के आधार पर दर्ज हुई है। जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसे मन्सुख करवाये बिना वादीगण अपने अधिकारो की घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का वाद श्रीमान न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है।

उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव प्रार्थना पत्र वादीगण की ओर से पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं.–1 द्वारा अपने उपरोक्त प्रार्थना पत्र में जो बिन्दु दर्ज किये है वह विधि एवं तथ्यो का मिश्रित प्रश्न है जिसे सम्बधं में दोनो पक्षो की साक्ष्य आने के पश्चात ही तैय किया जा सकता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र हर प्रकार से माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है। ऐसी स्थिती में प्रतिवादी सं.–1 का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व होने के कारण काबिल निरस्ती के है।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। प्रतिवादी सं.–1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादीगण द्वारा अपने उक्त वाद पत्र में मुख्य अनुतोष प्रतिवादी के विरूद्व अधिकारो की घोषणा का चाहा है। प्रतिवादी सं.–1 के पक्ष में दर्ज हुई विवादित भूमि दस्तावेज दस्तबदारी दिनांक 23.12.2015 के आधार पर दर्ज हुई है। जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। रजिस्टर्ड दस्तावेज सुनवाई करने व रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, उक्त रजिस्टर्ड दस्तबदारी दस्तावेज को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने बिना वादीगण इस न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वादीगण का वाद विधिवर्जित एवं इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः प्रतिवादी सं.–1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी पी सी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादी सं.–1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 08/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर